BULANDSHAHR POLICE

दिनांक- 17 अक्टूबर, 2025 **थाना कोतवाली नगर**

ज्वैलर्स के यहां चोरी करने वाले पति- पत्नी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये पीली धातु का सेट बेचकर प्राप्त 04 लाख रुपये बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 26.09.2025 को डीएम रोड स्थित पंडित ज्वैलर्स पर ग्राहक बनकर आये एक महिला व पुरूष द्वारा गले का सैट चुरा लिया था इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-953/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटना के खुलासे हेतु टीमे गठित की गयी थी। जांच/विवेचना के दौरान प्रकाश में 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को दिनांक 16.10.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मानक चौक जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए पंजीकृत अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि करते हुए अभियुक्तो को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. पूनम पत्नी कमलेश रंगवाडी निवासी गाँव नरोडा थाना नरोडा अहमदाबाद गुजरात ।
2. कमलेश भाई पुत्र थावर भाई रंगवाडी निवासी ए1सोमनाथ कोम्पलेक्स गणपति मन्दिर के सामने नरोडा पुलिस स्टेशन के पास मे अहमदाबाद गुजरात ।

बरामदगी का विवरण-

01. 04 लाख रुपये नकद(चोरी के आभूषण बेचकर प्राप्त)

गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ पर बताया कि वे दोनो करीब 20 वर्षो से बतौर पति पत्नी रह रहे है। वह पहले अहमदाबाद में शराब बेचने का काम करती थी उसके बाद वह कमलेश के सम्पर्क मे आयी तथा फिर उसके साथ मिलकर मुम्बई, अहमदाबाद, चण्डीगढ, जम्मु कश्मीर, मैनपुरी, बुलन्दशहर आदि जगह जगह घुमकर बडी ज्वैलर्स की दुकानो को चिन्हित करते तथा वहां जाकर उसमें कार्य कर रही महिला कर्मचारियों से सोने के जेवरात दिखाने को कहते है। जब महिला कर्मचारी उन्हे जेवरात दिखाती, तो उन्हे बातो में उलझाकर जेवरात चोरी कर वहां से फरार हो जाते है।

दिनांक 26.09.2025 को पंडित ज्वैलर्स के यहां से जो सोने को सैट चोरी किया था उसे उन्होने राजस्थान में एक दलाल को 04 लाख रुपये में बेच दिया था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1- श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर।
2- उ0नि0 लोकेश कुमार
3- है0का0 मोहित मालिक, है0का0 कुलदीप राठी, है0का0 अंकित मालिक, म0का0 तनु

मीडिया सैल बुलन्दशहर